22/5/18

प्रार्थी राजस्व लोक अदालत कोर्ट केस कुमारीबाई के पेश हुई। प्रार्थी का अधिवक्ता लोक अदालत की मार्फत निपटारा गया। अतः निर्णय सुना दी। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पत्र पर 212 (1) बी डाट प्रस्तुत की के चलन एक कार्यवाही किया जाता है। उपपंजीयक का पावर दिया जाता है कि एक दुबारा के कब्जा का पावर दिया जाता है। कि एक दुबारा रेकार्ड की प्रमाणित प्रति के माध्यम नहीं कर रेकार्ड की प्रमाणित प्रति बनाया रहा। प्रार्थी केसरा कुमार होल नम्बर के काम है।

NAD Cop कुमारीबाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सहायक कलक्टर (एवं उपखण्ड अधिकारी)
सांभरलेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner